अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 2 का संशोधन।

35. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 1962 का 52

'(2) "निर्धारण" के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण, स्वतः निर्धारण, पुनर्निर्धारण और ऐसा कोई निर्धारण भी है, जिसमें निर्धारित शुल्क शून्य है ;'।

धारा 3 का संशोधन।

36. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के खंड (ङ) में, "या सीमाशुल्क उपायुक्त" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

37. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

शुल्क का निर्धारण।

"17. (1) धारा 46 के अधीन किसी आयातित माल को प्रविष्ट करने वाला कोई आयातकर्ता या धारा 50 के अधीन किसी निर्यात माल को प्रविष्ट करने वाला कोई निर्यातकर्ता, धारा 85 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का, यदि कोई हो, स्वतः निर्धारण करेगा ।

(2) उचित अधिकारी, ऐसे माल के स्वतः निर्धारण का सत्यापन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए, किसी आयातित माल या निर्यात माल की या उसके ऐसे भाग की, जो आवश्यक हो, परीक्षा या परीक्षण कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन स्वतः निर्धारण के सत्यापन के लिए, उचित अधिकारी, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से कोई संविदा, दलाल की पुर्जी, बीमा पालिसी, प्रसूची या अन्य दस्तावेज, जिसके द्वारा, यथास्थिति, आयातित माल या निर्यात माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क अभिनिश्चित किया जा सकता है, पेश करने की और ऐसा अभिनिश्चय करने के लिए अपेक्षित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे पेश करना या देना उसकी शक्ति में है और तदुपरि, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या अन्य व्यक्ति, ऐसा दस्तावेज पेश करेगा या ऐसी जानकारी देगा ।

(4) यदि माल के सत्यापन, परीक्षा या परीक्षण पर या अन्यथा यह पाया जाता है कि स्वतः निर्धारण सही रूप में नहीं किया गया है, तो उचित अधिकारी ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का पुनर्निर्धारण कर सकेगा ।

(5) जहां, उपधारा (4) के अधीन किया गया कोई पुनर्निर्धारण, इस अधिनियम के अधीन उसके लिए जारी की गई किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त माल के मूल्यांकन, वर्गीकरण, शुल्क से छूट या रियायतों की बाबत आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किए गए स्वतः निर्धारण के प्रतिकूल है और उन मामलों से भिन्न मामलों में जहां, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता उक्त पुनर्निर्धारण की अपनी स्वीकृति की लिखित में पुष्टि करता है, वहां उचित अधिकारी, यथास्थिति, प्रवेश पत्र या पोत परिवहन पत्र के पुनर्निर्धारण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पुनर्निर्धारण का एक सकारण आदेश पारित करेगा ।

(6) जहां पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है या पुनर्निर्धारण पर कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां उचित अधिकारी, जैसा समीचीन हो, आयातित माल या निर्यातित माल के शुल्क के निर्धारण की अपने कार्यालय या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के परिसरों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संपरीक्षा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उन मामलों में, जहां आयातकर्ता ने उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त अधिनियम, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, धारा 46 के अधीन किसी आयातित माल को प्रविष्ट किया है या किसी निर्यातकर्ता ने धारा 50 के अधीन किसी निर्यात माल को प्रविष्ट किया है, वहां ऐसा आयातित माल या निर्यात माल धारा 17, जैसी वह उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, ठीक पूर्व विद्यमान थी, के उपबंधों द्वारा शासित होता रहेगा ।"।

38. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 में,— धारा 18 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 46 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) जहां आयातकर्ता या निर्यातकर्ता धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन स्वतः निर्धारण करने में असमर्थ है और उचित अधिकारी को उनके निर्धारण के लिए लिखित में अनुरोध करता है ; या

(ख) जहां उचित अधिकारी किसी आयातित माल या निर्यातित माल का कोई रासायनिक या अन्य परीक्षण कराना आवश्यक समझता है ; या

(ग) जहां आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज पेश कर दिए हैं और पूर्ण जानकारी दे दी है, किन्तु उचित अधिकारी आगे और जांच करना आवश्यक समझता है ; या

(घ) जहां आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं या जानकारी नहीं दी गई है और उचित अधिकारी आगे और जांच करना आवश्यक समझता है,

वहां उचित अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनंतिम रूप से निर्धारण किया जाए, यदि, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ऐसे शुल्क के, जो अंतिम रूप से निर्धारित किया जाए और अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क के बीच की कमी का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए ऐसी प्रतिभूति देता है जो उचित अधिकारी ठीक समझे।";

(ख) उपधारा (2) के आरंभिक भाग में, "इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार" शब्दों के स्थान पर, "उचित अधिकारी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

39. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 19 के परंतुक के खंड (ख) में "समाधानपर्यन्त साक्ष्य पेश करता है" शब्दों के पश्चात्, "या साक्ष्य उपलब्ध है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 19 का संशोधन।

40. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 27 का संशोधन।

'(1) कोई व्यक्ति, जो—

(क) उसके द्वारा संदत्त ; या

(ख) उसके द्वारा वहन किए गए,

किसी शुल्क या ब्याज के प्रतिदाय का दावा करता है, शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख से एक मास की समाप्ति से पूर्व ऐसे प्रतिदाय के लिए सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में आवेदन कर सकेगा, जो विहित की जाए :

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व कर दिया गया है, वहां ऐसा आवेदन उपधारा (1) के अधीन, जैसी वह उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व विद्यमान थी, किया गया समझा जाएगा और उस पर उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी:

परंतु यह और कि एक वर्ष की परिसीमा उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां कोई शुल्क या ब्याज, अभ्यापत्तिपूर्वक संदत्त किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, आयातकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के संबंध में "ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख" का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा "माल के क्रय की तारीख" है ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ ऐसा दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 28ग में निर्दिष्ट दस्तावेज भी है) लगा होगा, जो आवेदक यह स्थापित करने के लिए दे कि ऐसे शुल्क या ब्याज की रकम, जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उससे संगृहीत या उसके द्वारा संदत्त की गई थी और ऐसे शुल्क या ब्याज का भार उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है ।'।

(1ख) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, एक वर्ष की परिसीमा अवधि की संगणना, निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात्:—

(क) ऐसे माल की दशा में, जो धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी विशेष आदेश द्वारा शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त है, एक वर्ष की परिसीमा की संगणना उस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से की जाएगी;

(ख) जहां शुल्क अपील प्राधिकरण, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदेय हो जाता है वहां एक वर्ष की परिसीमा की संगणना ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की तारीख से की जाएगी ;

(ग) जहां किसी शुल्क का धारा 18 के अधीन अनंतिम रूप से संदाय किया जाता है, वहां एक वर्ष की परिसीमा की संगणना शुल्क के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख से की जाएगी ।'।

धारा 28 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

41. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् : —

उद्गृहीत नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए शुल्कों की वसूली।

"28. (1) जहां कोई शुल्क दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से भिन्न किसी कारण उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या भूल से उसका प्रतिदाय किया गया है या संदेय कोई ब्याज संदत्त नहीं किया गया है या भागतः संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है तो,—

(क) उचित अधिकारी, सुसंगत तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे शुल्क या ब्याज से, जो इस प्रकार उद्गृहीत नहीं किया गया है या जिसे कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या जिसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, प्रभार्य व्यक्ति को, उससे ऐसा हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ;

(ख) शुल्क या ब्याज से प्रभार्य व्यक्ति,—

(i) ऐसे शुल्क को अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर ; या

(ii) उचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित शुल्क के आधार पर,

खंड (क) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, शुल्क की रकम का धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ या ब्याज की उस रकम के साथ, जो इस प्रकार संदत्त नहीं की गई है या भागतः संदत्त की गई है, संदाय कर सकेगा ।

(2) वह व्यक्ति, जिसने शुल्क का ब्याज के साथ या उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ब्याज की रकम का संदाय किया है, उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस प्रकार संदत्त शुल्क या ब्याज या ऐसे शुल्क या ब्याज की बाबत इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्ग्रहणीय किसी शास्ति की बाबत उस उपधारा के खंड (क) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा ।

(3) जहां उचित अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त रकम वास्तव में संदेय रकम से कम हो जाती है, वहां वह उस रकम की बाबत, जो उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वास्तव में संदेय रकम से कम हो जाती है, उस उपधारा के खंड (क) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने की कार्यवाही करेगा और एक वर्ष की अवधि की संगणना उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(4) जहां कोई शुल्क आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा,—

(क) दुरभिसंधि; या

(ख) किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन; या

(ग) तथ्यों को छिपाने,

के कारण उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है या संदेय ब्याज को संदत्त नहीं किया गया है या भागतः संदत्त किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां उचित अधिकारी सुसंगत तारीख से पांच वर्ष के भीतर ऐसे शुल्क या ब्याज से, प्रभार्य व्यक्ति को, जिससे ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या जिसको भूल से प्रतिदाय किया गया है, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ।

(5) जहां आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के ऐसे अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा, जिसे उचित अधिकारी द्वारा उपधारा (4) के अधीन सूचना की तामील की गई है, दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के कारण कोई शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है या भागतः संदत्त किया गया है अथवा शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति पूर्णतः या भागतः, जैसा उसके द्वारा प्रतिगृहीत किया जाए, शुल्क का और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज का और सूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का या उस शुल्क का, जो उस व्यक्ति द्वारा प्रतिगृहीत किया जाए, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की उचित अधिकारी को लिखित में सूचना दे सकेगा ।

(6) जहां, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के ऐसे अभिकर्ता या कर्मचारी ने उपधारा (5) के अधीन शुल्क का ब्याज और शास्ति सहित संदाय कर दिया है, वहां उचित अधिकारी शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण करेगा और अवधारण किए जाने पर, यदि उचित अधिकारी की यह राय है कि—

(i) शुल्क का ब्याज और शास्ति सहित पूर्णतः संदाय कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की बाबत, जिन्हें उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, कार्यवाहियां धारा 135, धारा 135क और धारा 140 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें कथित मामलों के बारे में निश्चायक समझी जाएंगी;

(ii) ब्याज और शास्ति सहित, शुल्क, जो संदत्त किया गया है, वास्तव में संदेय रकम से कम पड़ता है तो उचित अधिकारी ऐसी रकम की बाबत, जो वास्तव में संदेय रकम से कम पड़ती है, उपधारा (1) के खंड (क) में यथा उपबंधित सूचना उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में जारी करने की कार्यवाही करेगा और एक वर्ष की अवधि की संगणना उपधारा (5) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(7) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक वर्ष या उपधारा (4) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में, वह अवधि अपवर्जित की जाएगी, जिसके दौरान ऐसे शुल्क के संदाय की बाबत किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा कोई रोकादेश दिया गया था।

(8) उचित अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और उस व्यक्ति द्वारा, किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य शुल्क या ब्याज की ऐसी रकम का, जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक न हो, अवधारण करेगा ।

(9) उचित अधिकारी, उपधारा (8) के अधीन शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सूचना की तारीख से छह मास के भीतर करेगा ;

(ख) उपधारा (4) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर करेगा ।

(10) जहां इस धारा के अधीन उचित अधिकारी द्वारा शुल्क अवधारण करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां उक्त शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का, उस रकम पर देय ब्याज सहित, चाहे ब्याज की रकम पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की गई हो या नहीं, संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत तारीख" से,—

(क) उस दशा में, जहां शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है, वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उचित अधिकारी माल की निकासी के लिए कोई आदेश करता है ;

(ख) उस दशा में, जहां शुल्क धारा 18 के अधीन अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है, वहां शुल्क के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख अभिप्रेत है ;

(ग) उस दशा में, जहां शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय कर दिया गया है, वहां प्रतिदाय की तारीख अभिप्रेत है ;

(घ) किसी अन्य दशा में, शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख अभिप्रेत है ।'।

धारा 28कक और धारा 28कख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

42. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक और धारा 28कख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज।

"28कक. (1) किसी न्यायालय, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी वह व्यक्ति, जो धारा 28 के उपबंधों के अनुसार शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त, उपधारा (2) के अधीन नियत दर से ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए दायी होगा, चाहे ऐसा संदाय स्वेच्छया या उस धारा के अधीन शुल्क के अवधारण के पश्चात् किया जाता है ।

(2) प्रतिवर्ष दस प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से ब्याज का, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, ऐसे शुल्क का, धारा 28 के निबंधनानुसार उसका संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाएगा और ऐसे ब्याज की संगणना, यथास्थिति, उस मास के, जिसमें शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, यथास्थिति, उत्तरवर्ती मास के प्रथम दिन से या भूल से ऐसा प्रतिदाय किए जाने की तारीख से ऐसे शुल्क का संदाय किए जाने की तारीख तक की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात होते हुए भी, उस दशा में, कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, जहां—

(क) शुल्क धारा 151क के अधीन बोर्ड द्वारा कोई आदेश, अनुदेश या निदेश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता है; और

(ख) ऐसे शुल्क की रकम का, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर, ऐसे संदाय के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उक्त संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना स्वेच्छया पूर्णतः संदाय कर दिया जाता है ।"।

धारा 46 का संशोधन।

43. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "विहित प्ररूप में" शब्दों के पश्चात्, "इलैक्ट्रानिक रूप से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "परंतु" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे मामलों में, जहां इलैक्ट्रानिक रूप से प्रवेश पत्र पेश करके प्रविष्टि करना साध्य नहीं है, वहां किसी अन्य रीति में प्रवेश पत्र पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि" ;

(ख) उपधारा (4) में "उसके नीचे की ओर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 50 का संशोधन।

44. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "विहित प्ररूप में" शब्दों के पश्चात्, "इलैक्ट्रानिक रूप से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे मामलों में, जहां इलैक्ट्रानिक रूप से प्रवेश पत्र पेश करके प्रविष्टि करना साध्य नहीं है, वहां किसी अन्य रीति में प्रवेश पत्र पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।";

(ख) उपधारा (2) में "उसके नीचे की ओर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 75 का संशोधन।

45. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "कि ऐसी वापसी" शब्दों के पश्चात्, ",सिवाय ऐसी परिस्थितियों या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा विहित करे," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 110क का संशोधन।

46. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110क में, "न्यायनिर्णायक अधिकारी" और "सीमाशुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 124 का संशोधन।

47. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 124 में, "किसी सीमाशुल्क उपायुक्त" शब्दों के स्थान पर, "किसी सीमाशुल्क सहायक आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 131खक का अंतःस्थापन।

48. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 131ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 20 अक्तूबर, 2010 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में अपील का फाइल न किया जाना।

"131खक. (1) बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल किए जाने का विनियमन करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी धनीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, नियत करने वाले आदेश या अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) जहां सीमाशुल्क आयुक्त ने, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया है, वहां वह ऐसे सीमाशुल्क आयुक्त को उन्हीं या समान विवाद्यकों या विधि के प्रश्नों वाले किसी अन्य मामले में कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने से निवारित नहीं करेगा ।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया है, ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश में पक्षकार है, यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि सीमाशुल्क आयुक्त ने अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है ।

(4) ऐसी अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया था ।

(5) 20 अक्तूबर, 2010 को या उसके पश्चात्, किंतु उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, बोर्ड द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश की धनीय सीमाएं नियत करने संबंधी जारी किए गए प्रत्येक आदेश या अनुदेश या निदेश को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"।

49. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 142क का अंतःस्थापन।

"142क. किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क, शास्ति, ब्याज की कोई रकम या कोई अन्य राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी ।"। अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होना।

1956 का 1
1993 का 51
2002 का 54

50. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 150 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 150 का संशोधन।

"परंतु जहां ऐसे माल के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, माल के स्वामी को विक्रय आगमों के अतिशेष का, यदि कोई हो, संदाय करना संभव नहीं है, वहां विक्रय आगमों के ऐसे अतिशेष का केंद्रीय सरकार को संदाय किया जाएगा ।"।

51. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 151क में, "एकरूपता के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के पश्चात्, "या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंधों के, जहां तक उनका संबंध माल के आयात या निर्यात के लिए किसी प्रतिषेध, निर्बंधन या प्रक्रिया से है, कार्यान्वयन के लिए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 151क का संशोधन।

52. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 157 का संशोधन।

"(घ) आयातित या निर्यात माल के शुल्क के निर्धारण की उचित अधिकारी के कार्यालय में या, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के परिसर पर संपरीक्षा के संचालन की रीति ।"।

53. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 605(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004, सा0का0नि0 282(अ), तारीख 9 मई, 2005, सा0का0नि0 528(अ), तारीख 1 सितंबर, 2006, सा0का0नि0 529(अ), तारीख 1 सितंबर, 2006, सा0का0नि0 349(अ), तारीख 9 मई, 2008 और सा0का0नि0 878(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008 संशोधित हो जाएंगी और दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएंगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथा संशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही थीं । सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने की शक्ति होगी और शक्ति रही मानी जाएगी, मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचनाओं का सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती ।

54. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, तीसरी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मद और उसके वर्णन को छूट दी जाएगी और उसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही उक्त स्तंभ में यथा विनिर्दिष्ट छूट दी गई समझी जाएगी। ताजा लहसुन के कतिपय आयातों पर सीमाशुल्क से छूट प्रदान करने वाले विशेष उपबंध ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 का संशोधन।

55. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के परंतुक के खंड (क) में, "बाट और माप मानक अधिनियम, 1976" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे । 1975 का 51 1976 का 60 2010 का 1

धारा 9कक का संशोधन।

56. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9कक की उपधारा (1) में, "जहां कोई आयातकर्ता" शब्दों से आरंभ होने वाले और "हकदार होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"जहां उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अवधारण किए जाने पर, कोई आयातकर्ता केंद्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसने धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन किसी वस्तु पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का ऐसी वस्तु के संबंध में वास्तविक पाटन अंतर से अधिक संदाय कर दिया है वहां केंद्रीय सरकार, यथाशीघ्र, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क को, जो इस प्रकार अवधारित वास्तविक पाटन अंतर से अधिक है, ऐसी वस्तु या ऐसे आयातकर्ता के संबंध में कम करेगी और ऐसा आयातकर्ता ऐसे आधिक्य शुल्क के प्रतिदाय के लिए हकदार होगा ।"।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन।

57. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में,—

(क) पहली अनुसूची का,—

(i) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) 1 जनवरी, 2012 से पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ;

(ख) दूसरी अनुसूची का, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

कतिपय अवधि के दौरान कास्टिक सोडा लाई पर अंतिम सुरक्षा शुल्क अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध।

58. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी सातवीं अनुसूची के स्तंभ (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मद के संबंध में सुरक्षा शुल्क उसमें वर्णित दर पर उसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिरोपित किया जाएगा और अधिरोपित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन विकासशील देशों के रूप में, जनवादी गणराज्य चीन, इंडोनेशिया, कतर, सउदी अरब और थाइलैंड से भिन्न, अधिसूचित देशों से कास्टिक सोडा लाई के आयातों को लागू नहीं होगी ।